फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सीता देवी **बनाम** उपखण्ड अधिकारी आमेर व अन्य

प्रकरण संख्या : 162/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
08.06.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर, जयपुर के पीठासीन अधिकारी श्री बजरंग लाल स्वामी, आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 171/2024 व 150/2024 ब-उनवानी सीता देवी बनाम रामकिशन व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री बजरंग लाल स्वामी, आर.ए.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी, आमेर के पीठासीन अधिकारी श्री बजरंग लाल स्वामी, आर.ए.एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है, फलस्वरूप प्रार्थी का मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (संदेश नायक) जिला कलक्टर जयपुर	